रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 4, 2005/माघ 15, 1926
No. 17] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 4, 2005/MAGHA 15, 1926

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2005

सं. 1.— भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद्, अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (झ), (ञ) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर शिक्षा) संशोधन विनियम, 1994 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद्, भारत सरकार की पूर्व सहमति से आयुर्वेद की स्नातकोत्तर शिक्षा को विनियमित करने के क्रम में निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं :** इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 अभिप्रेत है;

(ख) "परिषद्" से भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अभिप्रेत है ;

(ग) "मान्यताप्राप्त संस्थान" से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन यथापरिभाषित कोई अनुमोदित संस्थान अभिप्रेत है।

3. **उद्देश्य और प्रयोजन:** स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद विशिष्टताओं और अति विशिष्टताओं का अभिविन्यास करना, और ऐसे सुविज्ञ और विशेषज्ञों को तैयार करना है जो सुयोग्य और दक्ष अध्यापक चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, प्रसूति तन्त्र एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ (स्त्री रोग और प्रसूति तंत्रज्ञ) औषध निर्माण दक्ष/अनुसंधानकर्ता और आयुर्वेद विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों के उद्भट विद्वान हों।

4. विशिष्टताएं जिनमें स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम संचालित किए जा सकते हैं, -निम्नलिखित विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर डिग्री अनुज्ञात किए जा सकेंगे-

(1) आयुर्वेद सिद्धांत,
(2) आयुर्वेद संहिता-
  (क) चरक संहिता
  (ख) सुश्रुत संहिता
  (ग) वाग्भट्ट संहिता
(3) रचना शरीर
(4) क्रिया शरीर (दोष-धातु-मल विज्ञान),
(5) द्रव्य गुण विज्ञान,
(6) रस शास्त्र,
(7) भैषज्य कल्पना,
(8) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग,
(9) कौमार भृत्य- बाल रोग,
(10) काय चिकित्सा,
(11) स्वस्थवृत्त,
(12) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान,
(13) मनोविज्ञान एवं मानस रोग
(14) शल्य तंत्र- सामान्य,
(15) शल्य तंत्र- क्षार कर्म एवं अनुशस्त्र कर्म,
(16) शालाक्य तंत्र- नेत्र रोग,
(17) शालाक्य तंत्र- शिरो-नासा-कर्ण एवं कंठ रोग,
(18) शालाक्य तंत्र- दंत एवं मुख रोग,
(19) पंचकर्म,
(20) अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक
(21) संज्ञा हरण,
(22) छाया एवं विकिरण विज्ञान,

5. स्नातकोत्तर डिग्री का नामकरण अपनी-अपनी विशेषज्ञता में निम्नवत् होगाः-

(1) आयुर्वेद वाचस्पति (एम. डी. -आयुर्वेद)- आयुर्वेद सिद्धांत,
(2) आयुर्वेद वाचस्पति (एम. डी. -आयुर्वेद)- आयुर्वेद संहिता,
(3) आयुर्वेद वाचस्पति (एम. डी. -आयुर्वेद)- रचना शरीर,
(4) आयुर्वेद वाचस्पति (एम. डी. -आयुर्वेद)- क्रिया शरीर (दोष-धातु-मल विज्ञान),
(5) आयुर्वेद वाचस्पति (एम. डी. -आयुर्वेद)- द्रव्यगुण विज्ञान,
(6) आयुर्वेद वाचस्पति (एम. डी. -आयुर्वेद)- रस शास्त्र,
(7) आयुर्वेद वाचस्पति (एम. डी. -आयुर्वेद)- भैषज्य कल्पना,
(8) आयुर्वेद धन्वन्तरि (एम. डी. -आयुर्वेद)- प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग,
(9) आयुर्वेद वाचस्पति (एम. डी. -आयुर्वेद)- कौमार भृत्य- बाल रोग,

(10) आयुर्वेद वाचस्पति (एम. डी. -आयुर्वेद)- काय चिकित्सा,
(11) आयुर्वेद वाचस्पति (एम. डी. -आयुर्वेद)- स्वस्थवृत्त,
(12) आयुर्वेद वाचस्पति (एम. डी. -आयुर्वेद)- रोग निदान एवं विकृति विज्ञान,
(13) आयुर्वेद धन्वंतरि (एम. एस. -आयुर्वेद)- शल्य तंत्र- सामान्य,
(14) आयुर्वेद धन्वंतरि (एम. एस. -आयुर्वेद)- शल्य तंत्र- क्षार कर्म एवं अनुशस्त्र कर्म,
(15) आयुर्वेद धन्वंतरि (एम. एस. -आयुर्वेद)- शालाक्य तंत्र- नेत्र रोग,
(16) आयुर्वेद धन्वंतरि (एम. एस. -आयुर्वेद)- शालाक्य तंत्र- शिरो-नासा-कर्ण एवं कंठ रोग,
(17) आयुर्वेद वाचस्पति (एम. डी. -आयुर्वेद)- शालाक्य तंत्र- दन्त एवं मुख रोग,
(18) आयुर्वेद वाचस्पति (एम. डी. -आयुर्वेद)- मनोविज्ञान एवं मानस रोग,
(19) आयुर्वेद वाचस्पति (एम. डी. -आयुर्वेद)- पंचकर्म,
(20) आयुर्वेद वाचस्पति (एम. डी. -आयुर्वेद)- अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक,
(21) आयुर्वेद वाचस्पति (एम. डी. -आयुर्वेद)- संज्ञा हरण,
(22) आयुर्वेद वाचस्पति (एम. डी. -आयुर्वेद)- छाया एवं विकिरण विज्ञान,

6. प्रवेश की पद्धति-

(1) अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय या बोर्ड या चिकित्सीय संस्था से डिग्री लेने वाला कोई व्यक्ति स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा।

(2) यथास्थिति, विश्वविद्यालय या बोर्ड या चिकित्सीय संस्था प्रवेश समिति का गठन करेगी जो प्रवेश प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेगी।

(3) अभ्यर्थियों का चयन पूर्णतया लिखित परीक्षा तथा संबंधित विषय व डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित 100 अंकों के कुल सूचकांक में से प्राप्त अंतिम वरीयता सूचकांक के आधार पर निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात्:-

(4) 80 अंकों की लिखित परीक्षा में एक सामान्य लिखित प्रश्न पत्र होगा जिसमें आयुर्वेदाचार्य (बीएएमएस) पाठ्यक्रम के सभी विषयों के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न समाविष्ट होंगे और जिसके ब्यौरे उपविनियम (2) के अधीन गठित प्रवेश समिति द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे।

(5) प्रवेश के लिए साधारण अभ्यर्थियों के मामले में न्यूनतम पात्रता अंक कुल सूचकांक के पचास प्रतिशत होंगे और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में चालीस प्रतिशत होंगे।

(6) प्रायोजित अभ्यर्थियों को भी उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट अंकों का प्रतिशत प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

(7) विषय परिवर्तन प्रवेश की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर संबद्ध विभाग में उपलबध रिक्ति और मार्गदर्शक की उपलब्धता के अधीन अनुज्ञेय होगा।

7. **अध्ययन की अवधि और उपस्थिति- (1)** प्रवेश के पश्चात् छात्र को तीन वर्ष की अवधि तक अध्ययन करना होगा, जिसमें से एक वर्ष प्रारंभिक पाठ्यक्रम के लिए और अगले दो वर्ष विशेषज्ञता पाठ्यक्रम के लिए होंगे।

(2) परीक्षा देने की पात्रता के लिए कुल व्याख्यानों, क्रियात्मक और क्लीनिकल शिक्षकों या कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति कम से कम 75 प्रतिशत आवश्यक होगी।

(3) छात्रों को पाठ्यक्रम के अध्ययन के दौरान अस्पताल में उपस्थिति और अन्य कर्तव्यों का पालन करना होगा, जो उसे समनुदेशित किए जाएं।

(4) छात्रों को आरंभिक और अंतिम पाठ्यक्रम के दौरान विभिन्न संबंधित विभागों में क्रमशः गृह चिकित्सक के कर्तव्यों और क्लीनिकल रजिस्ट्रार के कर्तव्यों को करना होगा।

(5) छात्रों को शिक्षण विभागों द्वारा आयोजित विशिष्ट व्याख्यानों, प्रदर्शनों, विचार गोष्ठियों, अध्ययन दौरों और ऐसे अन्य क्रियाकलापों में उपस्थित होना आवश्यक होगा।

(6) तीन वर्ष का अध्यापन का अनुभव रखने वाले स्नातक अध्यापकों को नियमित छात्र के रूप में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण अनुज्ञात होगा।

8. **प्रशिक्षण की पद्धतिः** (1) संबंधित विशेषज्ञता में तुलनात्मक और आलोचनात्मक अध्ययन के साथ शास्त्रीय ज्ञान में गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(2) सैद्धांतिक और गहन प्रायोगिक प्रशिक्षण को महत्व दिया जाएगा न कि व्याख्यात्मक व्याख्यानों पर ।

(3) छात्रों को संबंधित क्षेत्र में सूचना तकनीक का उपयोग करते हुए शोध तकनीक और पद्धतियों के ज्ञान को प्राप्त करना होगा।

(4) क्लिनिकल विषयों में रोगियों का स्वतंत्र उपचार और चिकित्सा और आकस्मिकताओं को निपटाने का उत्तरदायित्व छात्रों को दिया जाएगा।

(5) छात्रों को पूर्व स्नातक छात्रों या संबंधित विषय के गृह चिकित्सकों के अध्यापन में और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा।

(6) प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में, छात्रों को आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों के प्रायोगिक पक्षों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करना होगा।

(7) क्लीनिकल प्रशिक्षण में छात्रों को एक विशेषज्ञ के रूप में स्वतंत्र कार्य करने का ज्ञान प्राप्त करना होगा।

(8) शल्य, शालाक्य और स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र विशेषज्ञताओं में छात्र को अन्वेषणात्मक प्रक्रियाओं तकनीकों और शल्य क्रिया की प्रक्रियाओं के निष्पादन और संबंधित विशेषज्ञता में प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(9) छात्रों को पाठ्यक्रम के अध्ययन के दौरान अध्यापन तकनीक और अनुसंधान पद्धतियों का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

9 **शोध प्रबंध -(1)** किसी छात्र को शोध प्रबंध का कार्य करने की अनुमति दिए जाने से पूर्व शोध प्रबंध का शीर्षक विश्वविद्यालय से प्रवेश की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर पंजीकृत करवाना होगा और सारांश प्रारंभिक परीक्षा के पास होने के पश्चात किंतु छः मास के भीतर देना होगा।

(2) शोध प्रबंध के शीर्षक के पंजीकरण के लिए आवेदन में शोध प्रबंध के सारांश के साथ पूरा शीर्षक स्पष्टतः वर्णित करना होगा जिसमें प्रस्तावित कार्य की विषय वस्तु के साथ छात्र सुपरिचित हैं, विभाग का नाम और उपदेशक या पर्यवेक्षक व सह उपदेशक, यदि कोई हो, के नाम और पदनाम दर्शित करने होंगे।

(3) शीर्षक का अनुमोदन करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संवीक्षा समिति का गठन किया जाएगा।

(4) शीर्षक के अनुमोदन के अनन्तर यथाशीघ्र शोध प्रबंध के सारांश की एक प्रति रजिस्ट्रार भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् को जमा की जाएगी।

(5) प्रत्येक शोध प्रबंध का विषय क्रियात्मक असंभवनीय विशेषज्ञताओं से मुक्त विकास में सहायक होगा।

(6) विश्वविद्यालय की संवीक्षा समिति द्वारा एक बार शोध प्रबंध का शीर्षक अनुमोदित हो जाने के पश्चात् छात्र को शीर्षक या कार्य की प्रस्तावित विषयवस्तु का परिवर्तन विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना अनुज्ञात नहीं होगा।

(7) छात्र का पंजीकरण, यदि वह शोध प्रबंध के शीर्षक और सारांश उप विनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में जमा करने में असफल रहता है, निरस्त कर दिया जाएगा।

(8) किसी छात्र को शीर्षक के अनुमोदन के एक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति से पहले और अंतिम वर्ष के छः माह से पहले शोध प्रबंध जमा करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, परंतु छात्र शोध प्रबंध को जमा करने के पश्चात् संस्थान में अपना नियमित अध्ययन जारी रखेगा।

(9) शोध प्रबंध का विषय विशेषज्ञता की विषय वस्तु से संबंधित होगा।

390 GI/2005-2

(10) शोध प्रबंध में छात्र द्वारा सम्पादित अनुसंधान, जो उसके द्वारा चयनित समस्या और विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अध्यापक के मार्ग निर्देश में पूरा हुआ, की पद्धतियां और आंकड़े अंतर्विष्ट होंगे।

(11) शोध प्रबंध में संबंधित साहित्य का समालोचनात्मक सर्वेक्षण, कार्य पद्धति, अनुसंधान के परिणाम, विषय से संबंधित विद्यमान साहित्य के आधार पर विवेचन, सारांश निष्कर्ष और शोध प्रबंध में उद्धृत संदर्भों का समावेश होगा।

(12) शोध प्रबंध दो सौ टंकित पृष्ठों से अधिक का नहीं होगा।

(13) शोध प्रबंध के अंत में पंद्रह सौ से अनधिक का सारांश और एक हजार शब्दों से अनधिक का निष्कर्ष होगा।

(14) मार्गनिर्देशक या पर्यवेक्षक विषय में अध्यापन का पांच वर्ष का अनुभव रखने वाला आचार्य या उपाचार्य या प्राध्यापक की हैसियत का व्यक्ति होगा।

(15) आचार्य या कोई उपाचार्य प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में अधिकतम दो छात्रों का रजिस्ट्रीकरण और कोई प्राध्यापक एक शैक्षिक वर्ष में केवल एक छात्र का रजिस्ट्रीकरण कर सकेंगे।

(16) शोध प्रबंध एक साहित्यिक प्रस्तुति होगी और यथावत् या संक्षिप्त रूप में प्रकाशन के लिए उपयुक्त होगा।

(17) शोध प्रबंध की पांच सजिल्द प्रतियां पर्यवेक्षक या मार्गनिर्देशक के प्रमाण पत्र के साथ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के कार्यालय में अंतिम परीक्षा से छः माह पूर्व पहुंच जानी चाहिए।

(18) शोध प्रबंध का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त दो बाह्य और एक आंतरिक परीक्षक द्वारा किया जाएगा।

(19) शोध प्रबंध उप विनियम (17) के अधीन नियुक्त परीक्षक के अनुमोदन के पश्चात् ही स्वीकार किया जाएगा और एक बाह्य परीक्षक द्वारा अननुमोदन किए जाने की दशा में शोध प्रबंध तीसरे परीक्षक को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(20) यदि शोध प्रबंध स्वीकार नहीं किया जाता है तो परीक्षकों की टिप्पणियों सहित छात्र को वापस कर दिया जाएगा और छात्र परीक्षकों की रिपोर्ट के प्रकाश में आवश्यक सुधार करने के पश्चात् शोध प्रबंध को पुनः छः माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा।

(21) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षकों से शोध प्रबंध के अनुमोदित होने पर ही छात्र को स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम की परीक्षा में बैठने दिया जाएगा।

10 **परीक्षा और उसका निर्धारण - (1)** स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम की निम्नलिखित रीति से दो परीक्षाएं होंगी :-

क प्रारंभिक परीक्षा प्रवेश के पश्चात् एक शैक्षणिक वर्ष के अंत में होगी:

ख अंतिम परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में पास होने के पश्चात् दो शैक्षणिक वर्षों के पूर्ण होने पर होगी:

ग परीक्षा साधारणतया प्रत्येक वर्ष के जून या जुलाई और नवबंर या दिसंबर मास में आयोजित की जाएगी:

घ परीक्षा में सफल होने के लिए छात्र को प्रारंभिक परीक्षा में सभी विषयों में अलग-अलग उत्तीर्ण होना होगा:

ड छात्र का परिणाम केवल उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में घोषित किया जाएगा;

च यदि कोई छात्र प्रारंभिक परीक्षा में केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे अंतिम परीक्षा में भाग लेने के लिए अनुज्ञात होने से पहले उस विषय को उत्तीर्ण करना होगा;

छ यदि छात्र अंतिम परीक्षा के सिद्धांत या प्रयोगात्मक में अनुत्तीर्ण होता है तो उससे उत्तरवर्ती परीक्षा में भाग लेने से पहले नया शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी और

ज स्नातकोत्तर उपाधि शोध प्रबंध के स्वीकार होने के पश्चात् और छात्र के अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रदत्त की जाएगी।

(2) परीक्षा का लक्ष्य छात्र की क्लीनिकल कुशाग्रता, योग्यता और विशेषज्ञता के व्यावहारिक पक्ष में कार्यकारी ज्ञान और विशेषज्ञ के रूप मे स्वतंत्र रूप से कार्य करने की योग्यता की जांच करना होगा।

(3) चिकित्सीय परीक्षा का लक्ष्य छात्र की क्षमता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना होगा ताकि विशेषज्ञता से संबंधित आयुर्वेद और वैज्ञानिक साहित्य के साथ उसकी सुविज्ञता की परख की जा सके।

(4) व्यावहारिक परीक्षा के मौखिक परीक्षण भाग में विशेषज्ञता के किसी भी पक्ष पर व्यापक चर्चा का समावेश होगा।

11 **परीक्षा के विषय: (1)** प्रवेश के पश्चात् एक शैक्षिक वर्ष के अंत में प्रारंभिक परीक्षा निम्नलिखित विषयों में संचालित की जाएगी:-

(क) चिकित्सीय सांख्यिकी और अनुसंधान पद्धति।

(ख) आधुनिक चिकित्सा के मूल विज्ञानों के संबद्ध अध्ययनों सहित प्रायोगिक पक्षों पर जोर देते हुए आयुर्वेद के गैर क्लीनिकल विषयों के सिद्धांत।

या

आधुनिक चिकित्सा के मूल विज्ञानों से संबद्ध अध्ययनों के साथ प्रायोगिक पक्षों पर जोर देते हुए आयुर्वेद के क्लीनिकल विषयों के सिद्धांत।

(2) छात्र को उसके द्वारा चयनित विशेषज्ञता के लिए संबद्ध विभाग में निम्नवत् प्रशिक्षण लेना होगा तथा अन्तिम दो वर्षों के अध्ययन के अंतर्गत किए गए कार्य का मासानुसार रिकार्ड रखना होगा:—

(i) संबंधित विशेषज्ञता के साहित्य का अध्ययन,

(ii) अस्पताल मे नियमित क्लीनिकल प्रशिक्षण,

(iii) विभाग में किए गए अनुसंधान कार्य का व्यावहारिक प्रशिक्षण,

(iv) विभिन्न विचार गोष्ठियों, संगोष्ठियों और वाद विवाद में सक्रिय भागीदारी,

(v) शोध प्रबंध के विषय और संक्षिप्ति को अंतिम रूप देना,

(vi) प्रथम वर्ष के दौरान उपर्युक्त बिंदुओं पर किए गए कार्य का मूल्यांकन प्रारंभिक परीक्षा के समय किया जाएगा;

(3) दो शैक्षिक वर्षों के अंत में संचालित की जाने वाली अंतिम परीक्षा में-

(क) शोध प्रबंध; (ख) लिखित प्रश्न पत्र; और (ग)क्लीनिकल मौखिक और प्रायोगिक परीक्षण, जैसी भी स्थिति हो, होंगे ।

(4) प्रत्येक विशेषज्ञता में चार सैद्धांतिक प्रश्न पत्र और एक प्रायोगिक या संबद्ध विशेषज्ञता या विशेष अध्ययन के लिए छात्र द्वारा चयनित उप विशेषज्ञता समूह में क्लीनिकल और मौखिक परीक्षा होगी ।

12. **परीक्षा प्रणाली-** प्रारंभिक परीक्षा और अंतिम परीक्षा की प्रणाली व्यावहारिक, चिकित्सीय और मौखिक परीक्षण के लिए निम्नलिखित रीति से होगी :-

(1) परीक्षक एक बार से तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए नियुक्त नहीं किए जाएंगे और दो वर्ष के अंतराल के पश्चात् पुन: नियुक्त किए जा सकेंगे ।

(2) परीक्षक स्नातकोत्तर शिक्षण का पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव रखता हो ।

(3) अनुदेशों का माध्यम हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी होगा ।

13. **स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केंद्र के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं-** (1) स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केंद्र परिषद द्वारा पूर्व स्नातक प्रशिक्षण के लिए विहित न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करता हो ।

(2) केंद्र परिषद द्वारा यथा विनिर्दिष्ट आयुर्वेद के मूल विज्ञानों में और अन्य संबद्ध विषयों में प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएगा ।

(3) केंद्र आनुषंगिक विभागों की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा ।

(4) केंद्र संबंधित विशेषज्ञता और विषय में प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित पर्याप्त उपकरण और अनुसंधान सुविधाएं रखेगा ।

(5) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम हेतु यथा अपेक्षित शिक्षक वर्ग के अतिरिक्त कम से कम संबंधित विषय में एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक आवश्यक होंगे। यदि उस विषय में पूर्व स्नातक स्तर पर स्वतंत्र विभाग नहीं है तो उस विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु एक आचार्य, एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक होगा और आचार्य की अनुपस्थिति में संबंधित विषय में एक उपाचार्य एवं दो प्राध्यापकों के साथ चार छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रारंभ किया जा सकता है।

(6) रचना शारीर, क्रिया शारीर, द्रव्य गुण, रसशास्त्र, भैषज्य कल्पना, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, शल्यतंत्र के विभागों में निम्नलिखित गैर शैक्षिक कर्मचारी नियुक्त होंगे :-

i)	प्रयोगशाला तकनीशियन	(एक)
ii)	प्रयोगशाला सहायक	(एक)
iii)	बहुद्देशीय कर्मकार	(एक)

(7) केंद्र सभी विभागों में विशेषज्ञता अनुसार पर्याप्त सुविधाओं के साथ पूर्ण सुसज्जित अस्पताल, जिसमें कम से कम एक सौ पचास शय्याएं होंगी, रखेगा ।

(8) छात्र-शय्याओं का अनुपात क्लीनिकल विभागों में 1:5 का होगा ।

(9) अस्पताल में शय्याओं के अधिभोग के वार्षिक अनुपात साठ प्रतिशत से अधिक होगा ।

(10) स्नातकोत्तर शिक्षण में शिक्षकों की मान्यता विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध विषयों के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में होगी ।

(11) क्लीनिकल विभागों में प्रत्येक बीस शय्याओं के लिए एक रजिस्ट्रार या ज्येष्ठ निवासी नियुक्त होगा ।

14. **स्नातकोत्तर छात्रों को सुविधाएं -** राज्य में अन्य चिकित्सीय स्नातकोत्तर छात्रों को लागू दर से वृत्तिका औरआकस्मितता प्रदान करेगा ।

15. **शिक्षक छात्र अनुपात-** शिक्षक छात्र अनुपात इस प्रकार होगा कि स्नातकोत्तर शिक्षकों की संख्या और प्रत्येक वर्ष में प्रविष्ट स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या का अनुपात आचार्य, उपाचार्य के मामले में 1:2 और प्राध्यापक के लिए 1:1 का होगा। प्रति वर्ष प्रति विषय छात्रों की अधिकतम संख्या 6 से अधिक नहीं होगी।

16. **स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए अर्हताएं -** (1) स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए तैनात/नियुक्त शिक्षक संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर डिग्री की अर्हता रखते हों ।

(2) आचार्य पद के लिए तेरह वर्ष का शैक्षिणिक अनुभव, जिसमें पांच वर्ष संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर शिक्षण में उपाचार्य के रूप में पांच वर्ष का अनुभव सम्मिलित है, की अपेक्षा होगी ।

(3) उपाचार्य के पद के लिए 8 वर्ष का प्राध्यापक के रूप में शैक्षिक अनुभव जिसमें तीन वर्ष स्नातकोत्तर शिक्षण भी है या संबद्ध विषय में स्नातक शिक्षण का कुल दस वर्ष का अनुभव अपेक्षित है ।

(4) प्राध्यापक के पद के लिए क्लीनिकल रजिस्ट्रार या ज्येष्ठ निवासी(सीनियर रेजीडेंट) के रूप में स्नातकोत्तर के पश्चात् तीन वर्ष का वृत्तिक अनुभव या किसी मान्यता प्राप्त संस्था में तीन वर्ष का अनुसंधान का अनुभव या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में तीन वर्ष का अध्यापन का अनुभव ।

(5) जहां कोई पद ज्येष्ठ प्राध्यापक का है, चार वर्ष की नियमित सेवा के प्राध्यापक को ज्येष्ठ प्राध्यापक के रूप में पदाभित किया जाएगा ।

17. **मान्यता के मानदंड** - (1) परिषद द्वारा यथाविहित स्नातक पूर्व प्रशिक्षण के लिए सभी न्यूनतम अपेक्षाओं को स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केंद्र को पूरी करनी होगी और इसके अतिरिक्त विभाग में किए जाने वाले कार्यों के प्रकार पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित अपेक्षाएं पूरी करनी होगी :

परंतु केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्नातकोत्तर केंद्र को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं को पूरा करना होगा ।

(2) परिषद द्वारा यथा अनुमोदित आयुर्वेद के मूल विज्ञान और अन्य समर्थित विषयों में प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा ।

(3) आनुषंगिक विभागों में सभी सुविधाएं भी उपलब्ध होगी ।

(4) केंद्र में संबद्ध विशेषज्ञता और विषयों में प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त उपकरण और अनुसंधान सुविधाएं होंगी ।

(5) केंद्र सभी विभागों में विशेषज्ञता अनुसार पर्याप्त सुविधाओं सहित पूर्ण सुसज्जित अस्पताल जिसमें कम से कम एक सौ पचास शय्याएं होंगी रखेगा ।

(6) छात्र- शय्याओं का अनुपात नैदानिक विभागों में 1:5 का होगा ।

(7) अस्पताल में शय्याओं के अधिभोग का वार्षिक अनुपात साठ प्रतिशत से अधिक होगा ।

प्रेमराज शर्मा, निदेशक-सह-सचिव

[विज्ञापन/III/IV/124/2004-असा.]

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2005

No. 1.—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), and in supersession of the Indian Medicine Central Council (Post – graduate Education) Amendment Regulations, 1994, except as respects things done or omitted to be done before such super-session, the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government in order to regulate the Post-graduate Education of Ayurveda, hereby makes the following regulations namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Postgraduate Ayurveda Education) Regulations, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) 'Act' means the Indian Medicine Central Council Act, 1970;

(b) 'Council' means the Central Council of Indian Medicine;

(c) 'recognized institution' means an approved institution as defined under clause (a) of sub-section (I) of section 2 of the Act.

3. **Aims and objects.**- The aims of the post-graduate degree courses shall be to provide orientation of specialties and super-specialties of Ayurveda and to produce experts and specialists who can be competent and efficient teachers, physicians, surgeons, obstetricians and gynaecologists (Stri Roga, Prasuti Tantragya), pharmaceutical experts, researchers and profound scholars in various fields of specialization of Ayurveda.

4. Specialties in which post-graduate degrees can be conducted.– The post-graduate degree may be allowed in the following specialties-

(1) Ayurved Siddhanta,

(2) Ayurved Samhitas-

(a) Charak Samhita

(b) Sushruta Samhita

(c) Vagbhat Samhita,

(3) Rachna Sharira,

(4) Kriya sharira (Dosha – Dhatu – Mal Vigyana),
(5) Dravyaguna Vigyana,
(6) Ras Shastra,
(7) Bhaisajya Kalpana,
(8) Prasuti Tantra avum Stri Roga,
(9) Kaumar Bhritya – Bala Roga,
(10) Kayachikitsa,
(11) Swasthavritta,
(12) Rog Nidan avum Vikriti Vigyan,
(13) Manovigyana avum Manas Roga,
(14) Shalya Tantra- Samanya,
(15) Shalya Tantra – Kshar Karma avum Anushastra Karma,
(16) Shalakya Tantra – Netra Roga,
(17) Shalakya Tantra – Shiro-Nasa – Karna avum Kantha Roga,
(18) Shalakya Tantra – Danta avum Mukha Roga,
(19) Panchakarma,
(20) Agad Tantra avum Vidhi Vaidyaka,
(21) Sangyaharana,
(22) Chhaya avum Vikiran Vigyan,

5. The nomenclature of post–graduate degree in respective specialties shall be as follows: -

(1) Ayurveda Vachaspati (M.D.-Ayurveda.) – Ayurveda Sidhanta,
(2) Ayurveda Vachaspati (M.D. -Ayurveda) – Ayurved Samhita,
(3) Ayurveda Vachaspati (M.D. -Ayurveda) – Rachna Sharir,
(4) Ayurveda Vachaspati (M.D. -Ayurveda) – Kriya Sharir (Dosha-Dhatu-Mala Vigyana),
(5) Ayurveda Vachaspati (M.D. -Ayurveda) – Dravya Guna Vigyana,
(6) Ayurveda Vachaspati (M.D. -Ayurveda) – Ras Shastra,
(7) Ayurveda Vachaspati (M.D. -Ayurveda) – Bhaishajya Kalpana,
(8) Ayurveda Dhanwantri (M.S.- Ayurveda)- Prasuti Tantra avum Stri Roga,
(9) Ayurveda Vachaspati (M.D. -Ayurveda) – Kaumar Bhritya – Bala Roga,
10) Ayurveda Vachaspati (M.D.-Ayurveda) – Kayachikitsa,
(11) Ayurveda Vachaspati (M.D -Ayurveda) – Swastha Vritta,
(12) Ayurveda Vachaspati (M.D -Ayurveda) – Rog Nidan avum Vikriti Vigyana,
(13) Ayurveda Dhanwantri (M.S.-Ayurveda) –Shalya Tantra – Samanya,
(14) Ayurveda Dhanwantri (M.S.- Ayurveda) –Shalya Tantra – Kshar Karma avum Anushastra Karma,
(15) Ayurveda Dhanwantri (M.S.-Ayurveda) – Shalakya Tantra – Netra Roga,
(16) Ayurveda Dhanwantri (M.S. -Ayurveda) – Shalakya Tantra: Shiro-Nasa-Karna avum Kantha Roga,
(17) Ayurveda Vachaspati (M.D –Ayurveda) – Shalakya Tantra – Danta avum Mukha Roga,
(18) Ayurveda Vachaspati (M.D.-Ayurveda) –Mano Vigyan avum Manas Roga,
(19) Ayurveda Vachaspati (M.D.-Ayurveda) – Panchkarma,
(20) Ayurveda Vachaspati (M.D.-Ayurveda) – Agad Tantra avum Vidhi vaidyaka,

(21) Ayurveda Vachaspati (M.D.- Ayurveda) – Sangyaharana,
(22) Ayurveda Vachaspati (M.D.-Ayurveda) – Chhaya avum Vikiran Vigyan,

6. Mode of Admission .-

(1) A person possessing the degree in Ayurved of a University or Board or medical institution specified in the Second Schedule to the Act shall be eligible for admission in the post-graduate degree course.

(2) The University or Board or medical institution as the case may be, shall constitute an admission Committee, which shall supervise the admission procedure.

(3) Selection of candidates shall be made strictly on the basis of final merit index calculated out of total index of 100 marks based on written test and marks obtained in concerned subject and final year examination of degree course in the following manner namely: -

> Marks obtained in written test of 80 marks plus index of marks obtained in concerned subject (to be calculated out of 10 marks) plus index of marks obtained in final year examination of degree course (to be calculated out of 10 marks).

(4) The written test of 80 marks shall consist of one common written paper comprising of objective type questions covering all the subjects of Ayurvedacharya (BAMS) course, the details of which shall be decided by the admission Committee constituted under sub-regulation (2).

(5) The minimum eligibility marks for admission in the case of general candidates shall be fifty per cent of the total index of marks and in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be forty per cent.

(6) The sponsored candidates shall also be required to possess the percentage of marks specified in sub-regulations (5).

(7) Change of subject shall be permissible within a period of two months from the date of admission, subject to availability of vacancy and guide in the concerned Department.

7. Period of study and attendance . - (1) The student shall have to undergo a study for a period of three years after the admission, out of which first year shall be devoted to preliminary course and following two years for specialty course.

(2) The students shall have to attend at least seventy five per cent of total lectures, practicals and clinical tutorials or classes to become eligible for appearing in the examination.

(3) The students shall have to attend the hospital and other duties as may be assigned to them during the course of study.

(4) The students shall have to do House job duties and Clinical Registrar's duties in their respective departments during preliminary and final courses.

(5) The students shall have to attend special lectures, demonstrations, seminars, study tours and such other activities as may be arranged by the teaching departments.

(6) The graduate teachers having three-year teaching experience shall be allowed to undertake Post-graduate training as regular student.

8. Method of training.- (1) Intensive training shall be provided in classical knowledge along with comparative and critical study in the respective specialty.

(2) The emphasis shall be given on theoretical and intensive applied training and not in dictative lectures.

(3) The students shall have to acquire the knowledge about the methods and techniques of research in the respective fields making use of Information Technology.

(4) In clinical subjects the students shall undertake responsibility in management and treatment of patients independently and deal with emergencies.

(5) The students shall have to participate in the teaching and training programmes of under-graduate students or interns in the respective subjects.

(6) In the first year of the course, the students shall have to acquire knowledge in the applied aspects of the fundamentals of Ayurved.

(7) In the clinical training the student shall have to acquire the knowledge of independent work as a specialist.

(8) In the specialties of Shalya, Shalakya and Stri Roga and Prasutitantra, the student shall have to undergo training of investigative procedures, techniques and surgical performance of procedures and management in the respective specialty.

(9) The student shall have to undertake training in teaching technology and research methods during the course of studies.

9. Dissertation.- (1) Before a student is allowed to undertake the work of dissertation, the title of the dissertation shall be registered with the University within a period of six months from the date of admission and the synopsis not later than six-months after passing the preliminary examination.

(2) The application for registration of the title of the dissertation shall clearly mention the full title of the dissertation with a synopsis of the proposed scheme of work indicating the familiarity of the student with the proposed theme of work, the name of the department and the name and designation of the guide or supervisor and co-guide, if any.

(3) For approving the title a scrutiny committee shall be constituted by the University.

(4) One copy of the synopsis of the dissertation shall be submitted to the Registrar, Central Council of Indian Medicine as soon as the title is approved.

(5) The subject of every dissertation shall be practical oriented, devoid of unpromising specialties and helpful in the development of Ayurveda.

(6) Once the title for dissertation is approved by the Scrutiny Committee of the University, the student shall not be allowed to change the title or the proposed theme of work without permission of the University.

(7) The registration of the student shall be cancelled if he/she fails to submit the title of dissertation and synopsis within the period specified under sub-regulation (1).

(8) No student shall be allowed to submit the dissertation before the expiry of one calendar year after approval of the topic and before six months of final year: Provided that the student shall continue his or her regular studies in the institution after submission of dissertation.

(9) The subject of the dissertation shall have relation with the subject matter of the specialty.

(10) The dissertation shall contain the methods and data of the research carried out by the student on the problem selected by him and completed under the guidance of the teacher approved by the University.

(11) The dissertation shall consist critical survey of relevant literature, methodology, results of the research, discussion on the basis of existing literature of the subject, summary conclusion, and references cited in the dissertation.

(12) The dissertation shall consist of not more than two hundred typed pages.

(13) The dissertation shall contain, at the end, a summary of not more than one thousand five hundred words and the conclusion not exceeding one thousand words.

(14) The guide or supervisor shall be a person of status of a Professor or Reader or Lecturer with five years teaching experience in the subject.

(15) A Professor or a Reader can register maximum two students in each academic year and a Lecturer can register only one student in one academic year.

(16) The dissertation shall be a literary presentation and suitable for publication either as such or in an abridged form.

(17) Five copies of the bound dissertation along with a certificate from the supervisor or

guide should reach the office of the Registrar of the University six months before the final examination.

(18) The dissertation shall be assessed by two external and one internal examiners appointed by the University

(19) The dissertation shall be accepted only after the approval of examiners appointed under sub-regulation (17) and in case of disapproval by one external examiner, the dissertation shall be referred to third examiner.

(20) If the dissertation is not accepted, the same shall be returned to the student with the remarks of the examiners and the student can resubmit the dissertation after making necessary improvement in the light of examiners' report to the University within a further period of six months.

(21) The student shall be permitted to appear in the final examination of post-graduate degree course only after the examiners appointed for the purpose have approved the dissertation.

10. Examination and assessment.-(1) The post-graduate degree course shall have two examinations in the following manner: -

(a) the preliminary examination shall be conducted at the end of one academic year after admission;

(b) the final examination shall be conducted on completion of two academic years after passing preliminary examination;

(c) examination shall ordinarily be held in the month of June or July and November or December every year;

(d) for being declared successful in the examination, student shall have to pass all the subjects separately in preliminary examination;

(e) the result of student shall be announced as pass or fail only;

(f) if a student fails in one subject only in preliminary examination, he/she shall have to pass in that subject before he/she is allowed to appear in the final Examination;

(g) if the student fails in theory or practical in the final examination, he/she can appear in the subsequent examination without requiring to submit a fresh dissertation; and

(h) the post-graduate degree shall be conferred after the dissertation is accepted and the student passes the final examination.

(2) The examination shall be aimed to test the clinical acumen, ability and working

knowledge of the student in the practical aspect of the specialty and his/her fitness to work independently as a specialist.

(3) The clinical examination shall aim at a careful assessment of the competence of the student, so that his/her familiarity with Ayurved and scientific literature in the specialty could be judged.

(4) The viva-voce part of the practical examination shall involve extensive discussion on any aspect of the specialty.

11. **Subjects of examination**.- (1) The preliminary examination at the end of one academic year after admission shall be conducted in the following subjects: -

(a) medical statistics and research methodology;

(b) fundamentals of non-clinical subjects of Ayurveda with an emphasis on applied aspects along with relevant studies of basic sciences of modern medicine.

Or

fundamentals of clinical subjects of Ayurveda with emphasis on applied aspects along with relevant studies of basic sciences of modern medicine.

(2) The student shall have to undergo training in the department concerned and shall maintain month-wise record of the work done during the last two years of study in the specialty opted by him/her as under:-"

(i) study of literature related to specialty,
(ii) regular clinical training in the hospital,
(iii) practical training of research work carried out in the department,
(iv) active participation in various seminars, symposia and discussions,
(v) finalisation of topic of dissertation and synopsis,
(vi) the assessment of the work done during the first year on the above points shall be done at the time of preliminary examination;

(3) The final examination being conducted at the end of two academic years shall consist of :

(a) dissertation; (b) written papers; and (c) clinical, oral and practical examination, as the case may be.

(4). There shall be four theory papers in each specialty and one practical or clinical and viva-voce examination in the concerned specialty or group of sub-specialties selected by the student for special study.

12. **Scheme of examination**.- The scheme of preliminary examination and final examination to be followed in practical, clinical and oral examination shall be as follow: -

(1) The examiners shall not be appointed for a period of more than three years at a time and may be re-appointed after an interval of two years.

(2) The examiner shall posses teaching experience of five years post-graduate teaching.

(3) Medium of instructions shall be Hindi, Sanskrit or English.

13. **Minimum requirement for post-graduate teaching center.**-(1) The postgraduate education center shall satisfy the entire minimum requirements of undergraduate training as prescribed by the Council.

(2) Facilities regarding training in basic sciences of Ayurveda and other supporting subjects as specified by the Council shall be provided by the Centre.

(3) All the facilities of ancillary departments shall be made available by the Centre.

(4) The Center shall have adequate equipment and research facilities required for training in the related specialty and subject.

(5) The minimum additional teaching staff required for starting post-graduate course shall be one Reader and one Lecturer of concerned subject, in addition to the teachers stipulated for under-graduate teaching. The specialty, which does not exist as independent department at UG level shall have one Professor, one Reader and one Lecturer for starting PG and in the absence of Professor, one Reader and two Lecturers of the concerned speciality can start PG Course with intake capacity of 4 students.

(6) In department of Rachana Sharir, Kriya Sharir, Dravyaguna, Rasa Shastra, Bhaishajya Kalpana, Rog Nidan and Vikriti Vigyan, Shalya Tantra, following non-teaching staff shall be posted:-

i) Laboratory Technician (one)
ii) Laboratory Assistant (one)
iii) Multipurpose worker (one)

(7) The Centre shall have a fully equipped hospital consisting of at least one hundred fifty beds with specialty-wise adequate facilities in all departments.

(8) The student-bed ratio in the clinical departments shall be 1:5.

(9) The annual average bed-occupancy in the hospital shall be more than sixty per cent.

(10) The teacher in post-graduate teaching shall necessarily be recognized by the University as Post-graduate teacher in concerned subject.

(11) In clinical departments one Registrar or Senior Resident shall be appointed for every twenty beds.

14. Facilities for postgraduate students.- The stipend and contingency shall be provided at the rates prevailing in the State for other medical postgraduate students.

15. Students teacher ratio.- The teacher student ratio shall be such that the number of post-graduate teachers to the number of post-graduate students admitted per year is maintained at 1:2 in case of Professors and Readers and 1:1 for Lecturer(s). Maximum number of students per year per speciality shall not exceed six."

16. Qualifications for Post-graduate teachers.- (1) The teachers deputed/appointed for postgraduate teaching shall possess post-graduate degree qualifications in the concerned subject.

(2) For the post of Professor, thirteen years teaching experience including five years as Reader in postgraduate teaching in the concerned subject shall be required.

(3) For the post of Reader, eight years teaching experience as Lecturer including three years in postgraduate teaching or total ten years experience of undergraduate teaching in the concerned subject shall be required.

(4) For the post of Lecturer, three years professional experience after postgraduation as Clinical Registrar or Senior Resident or three years research experience in a recognized institution or three years teaching experience in the concerned subject in a recognized college shall be required.

(5) Wherever there is a post of Senior Lecturer, the Lecturer with four years regular service shall be designated as Senior Lecturer.

17. Criteria for recognition.-(1) The postgraduate education Center shall satisfy the entire minimum requirements of undergraduate training as prescribed by the Council; and in addition shall fulfil additional requirements of postgraduate training depending upon the type of work to be carried out in the department:

Provided that the postgraduate Centre established by the Central Government shall satisfy the requirement specified in these regulations.

(2) Facilities regarding training in basic sciences of Ayurveda and other supporting subjects as recommended by the Council shall be provided.

(3) All the facilities of ancillary departments shall be available.

(4) The Centre shall have adequate equipment and research facilities required for training in the related specialty and subject.

(5) The Centre shall have a fully equipped hospital consisting of at least one hundred fifty beds with specialty-wise adequate facilities in the concerned departments.

(6) The student-bed ratio in the clinical departments should be 1:5.

(7) The annual average bed-occupancy should be more than sixty per cent

P. R. SHARMA, Registrar-cum-Secy.

[ADVT./III/IV/124/2004-Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.